न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनीषा अग्रवाल,(आर.जे.एस.)
सी.आई.एस.संख्या – 278/2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 186/2011
पुलिस थाना – छोटीसादड़ी

राजस्थान राज्य
बनाम

01 – चतुरभुज पिता भैरा, उम्र 45 साल, निवासी सालेड़ा कला, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)(मृत्यु होने से दिनांक 17.01.2023 को कार्यवाही ड्रॉप की गई।)

02 – मांगु उर्फ मांगीलाल पिता रामा, उम्र 30 साल, निवासी सालेड़ा कला, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)

03 – डालु उर्फ डालचंद पिता रामलाल, उम्र 35 साल, निवासी सालेड़ा कला, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)(मृत्यु होने से दिनांक 01.02.2024 को कार्यवाही ड्रॉप की गई।)

– अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 341, 447, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित–

01– अभियोजन अधिकारी – राज्य सरकार की ओर से अनुपस्थित।
02– श्री राजेश मंगरोरा अधिवक्ता – अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 09.03.2026

01– सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा थाना अधिकारी छोटीसादड़ी की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 447, 341, 329, 323/34 भा.द.सं. में न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रकरण का विचारण पूर्ण होने पर इस निर्णय द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

02– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 12.09.2011 को कानि. मनोज कुमार 278 थाना छोटीसादड़ी द्वारा प्रार्थी भग्गा पिता किशना की रिपोर्ट व प्रार्थी भग्गा व श्रीमती नाराणी के चोंट प्रतिवेदन व एक्स–रे पेश कर नाराणी के चोंट प्रतिवेदन में रिजर्व चोट ग्रीवीयस ब्लण्ड होने से कायमी प्रकरण हेतु इस आशय की पेश की कि दिनांक 07.09.2011 को 05.30 बजे प्रार्थी पीथलवड़ी से घर की तरफ जा रहा था कि मुलजिम चतुरभुज पिता भैरा, मांगु पिता रामा, डालु पिता रामा द्वारा शराब पीकर उसकी पत्नी नाराणी के सिर, हाथ पर लाठी की मारी तथा उसको भी लाठी से मारा। मौके पर शंभुलाल, पप्पु, कनीराम ने बीचबचाव किया..आदि–आदि।

03– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना छोटीसादड़ी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 186/2011 अपराध अंतर्गत धारा 325, 323/34 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 447, 341, 329, 323/34 भा.दं.सं. पेश किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथमदृष्ट्या उक्त अपराध का मामला बनना पाये जाने पर दिनांक 22.01.2015 को उक्तानुसार धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर पत्रावली माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ़ को कमिट की गई। जिस पर श्रीमान द्वारा उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात दिनांक 22.05.2015 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 329 भा.द.सं. के अपराध से उन्मोचित किया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 447, 323, 325/34 भा.द.सं. के आरोप विरचित किये जाने हेतु श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, प्रतापगढ़ को विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रेषित की गई। जिस पर श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, प्रतापगढ़ के द्वारा दिनांक 21.08.2015 को उक्त पत्रावली इस न्यायालय को अंतरित की गई।

04– दिनांक 19.08.2016 को बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त चतरभुज को तथा दिनांक 31.08.2016 को अभियुक्तगण मांगीलाल व डालचंद को अपराध अंतर्गत धारा 447, 341, 323, 325/34 भा.द.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर लिखित रूप में सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

05– अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित कराने हेतु निम्न मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की :–

क्रम संख्या	**गवाह संख्या**	**परीक्षित गवाह का विवरण**
1.	पीड. 01	भग्गा
2.	पीड. 02	पप्पु
3.	पीड. 03	नानुराम
4.	पीड. 04	शंभुलाल
5.	पीड. 05	श्रीमती नाराणीबाई
6.	पीड. 06	डॉ. जगदीश
7.	पीड. 07	प्रभुलाल

क्रम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**प्रदर्शित दस्तावेजों का विवरण**
1.	प्रदर्श पी 01	रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी 02	चोंट प्रतिवेदन भग्गा
3.	प्रदर्श पी 03	फर्द नक्शा मौका
4.	प्रदर्श पी.04	चोंट प्रतिवेदन श्रीमती नाराणी
5.	प्रदर्श पी 05	एम.ओ. को जारी तहरीर

06– दिनांक 09.03.2026 को अभियुक्त मांगु उर्फ मांगीलाल के धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत् बयान मुलजिम लिये गये। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्यों का गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया एवं कथन किया कि मैं निर्दोष हूं। झूंठा फंसाया गया है।

07– उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान तथा पेश दस्तावेजी साक्ष्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने के लिये पर्याप्त हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

08– अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहों की साक्ष्य में परस्पर एवं गंभीर विरोधाभास है। प्रकरण में सभी गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए है। जिन्होंने अभियोजन कहानी में अपना समर्थन नहीं किया है। अतः अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित करने का निवेदन किया।

09– पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है–

01. **आया आपने दिनांक 07.09.2011 को सांय करीब 05.30 बजे मौजा सरहद सालेड़ा खुर्द स्थित परिवादी भग्गा पिता किशना मीणा के कब्जे काश्त की आराजी में अपराध करने के आशय से दिगर मुलजिमान के साथ मिलकर अनाधिकार प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया ?**

02. **आया आपने दिगर मुलजिमान के साथ मिलकर उपरोक्त वर्णित दिनांक व समय पर मौजा छोटीसादड़ी में परिवादी भग्गा एवं उपहता श्रीमती नाराणी के साथ अपराध करने के सामान्य आशय से उन्हें जाते हुये को आड़े फिरकर रोका और उनका सदोष अवरोध कारित किया ?**

03. **आया आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उपरोक्त वर्णित दिनांक, स्थान व समय पर आहतगण भग्गा एवं श्रीमती नाराणी के साथ अपराध करने के सामान्य आशय के अनुसरण में कार्य करते हुये स्वैच्छयापूर्वक कुंदालय से मारपीट कर उन्हें सामान्य प्रकृत्ति की उपहतियां कारित की ?**

04. **आया आपने सह अभियुक्त के साथ मिलकर उपरोक्त वर्णित दिनांक, स्थान व समय पर उपहता श्रीमती नाराणी के साथ अपराध करने के सामान्य आशय के अनुसरण में कार्य करते हुये उसके साथ स्वैच्छयापूर्वक कुंदालय से मारपीट कर उसके दाहिने हाथ की छोटी अंगुली की अस्थि भंग कारित कर गंभीर उपहति कारित की ?**

05. **यदि हाँ, तो अभियुक्तगण के लिये न्यायोचित दण्ड क्या होगा ?**

10– उपरोक्त विचारणीय बिंदु को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर प्रकरण में कुल 09 गवाहों को परीक्षित करवाये गये हैं। हस्तगत प्रकरण की परिवादी न्यायालय के समक्ष **गवाह पी.ड.01 भग्गा** के रूप में परीक्षित हुआ। जिसने अपने मुख्य

परीक्षण में कथन किया कि पांच साल शाम को 05 बजे वह सालेड़ा से पिथलवड़ी होते हुये छोटीसादड़ी वह, उसकी पत्नी के साथ मोटरसाईकिल से आ रहा था, फिर रास्ते में गांव के थोड़ा आगे आप मुलजिमान मांगीलाल, चतरभुज, डालु तथा एक ओर व्यक्ति आये। उन्होंने उसकी गाड़ी रूकवाई और आप मुलजिमान मांगीलाल, चतरभुज व डालु ने पत्थर व लठठ से मारपीट की। आप मुलजिम चतरभुज ने उसके सिर पर लठठ मारा तो वह वहां से भा गया तथा उसकी पत्नी नाराणी बाई जो वहीं पर थी उसके साथ आप मुलजिम मांगीलाल ने लठठ से चतरभुज ने पत्थर से व डालु ने पत्थर से मारपीट की। फिर ये मुलजिम मारपीट करके भाग गये। इस घटना से उसके सिर पर, ललाट पर चोंटे आई थी। उसकी पत्नी नाराणी के हाथ टूट गया था तथा हाथ की अंगूली टूट गई थी तथा सिर पर भी गंभीर चोंट आई थी। जिसका ईलाज पहले तो छोटीसादड़ी अस्पताल में हुआ। नाराणीबाई को छोटीसादड़ी अस्पताल से प्रतापगढ़ रैफर कर दिया गया। इस घटना की उसने थाना छोटीसादड़ी में रिपोर्ट की थी जो प्रदर्श पी.01 है जिस पर ''एक्स'' स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। उसकी चोंटो का मेडिकल हुआ जो प्रदर्श पी.02 है जिस पर ''एक्स'' स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि सभी मुलजिमान उसके गांव के रहने वाले हैं तथा उसके ही समाज के हैं तथा उसकी मुलजिमानों से पुरानी कोई रंजिश नहीं है। गवाह ने यह स्वीकार किया कि रिपोर्ट उसने नहीं लिखी तथा उसने एक्स स्थान पर अंगूठा लगाया था। करीब चार–पांच साल पहले की बात है तथा तारीख व महिना उसको याद नहीं है। यह झगड़ा उधार बीड़ी तथा बंडर के लिये हुआ था। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि मांगीलाल ने उसको हजार रूपये उधार दिये हो। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसके बयान थाने में ही हुये थे।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.05 श्रीमती नाराणी** को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि पांच साल पहले शाम 05.00 बजे वह उसके घर पर थी। मांगीलाल पहले उसकी दुकान पर उधार बीड़ी लेने आया था। उसके द्वारा उधार बीड़ी नहीं देने पर वह बाद में उसके घर पर आप मुलजिमान मांगीलाल, चतरभुज व डालु ये तीनों आये तथा इन्होंने उसके साथ मारपीट करना चालू कर दी। आप मुलजिम मांगीलाल ने उसके सिर पर लठठ से तथा आप मुलजिम चतरभुज ने उसके हाथ पर लाठी की तथा डालु ने उसके थप्पड़ रखी थी। जिससे उसके सिर पर गंभीर चोंटे आई थी तथा उसका हाथ टूट गया था। इन तीनों ने भी उसके पति के साथ भी मारपीट की थी, फिर ये सभी मुलजिमान उसके साथ मारपीट करके भाग गये थे। उसकी चोंटो का भी मेडिकल हुआ था जो प्रदर्श पी.04 है जिस पर "एक्स" स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। बाद में पुलिस वाले मौका देखने आये थे जो प्रदर्श पी.03 है जिस पर "एक्स'' स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उनके मुलजिमानों से पुरानी आपसी रंजिश होने के कारण झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया हो।

12– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.04 शंभुलाल** को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि चार साल पहले 04 बजे सालेड़ा की बात है। उसका घर भग्गा के घर के पास है। वह उस समय घर पर ही था। वह तो मारपीट हो गई उसके बाद आया था। उसने भग्गा के घर से चतरभुज, मांगु व डालु को जाते हुये देखा था। इस घटना में नाराणीबाई के चोंटे आई थी। उनके सिर पर लगी थी। नाराणीबाई को वह फिर अस्पताल लेकर आया था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जिरह हेतु अवसर दिया गया, लेकिन नहीं करना चाहा।

13– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.02 पप्पु** को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि पांच साल पहले शाम 05 बजे वह भग्गा की दुकान पर था। वहां पर आप मुलजिमान मांगु, चतरभुज व डालु ये तीन जने भग्गा के घर पर आकर भग्गा व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने लग गये। ये सभी लठठ से मारपीट कर रहे थे। नाराणीबाई के सिर पर चोंट आई। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसके सामने मारपीट नहीं हुई तथा इस सुझाव से इन्कार किया कि वह मौके पर नहीं था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि कौन किससे मारपीट कर रहा था तथा किसके हाथ में क्या था वह नहीं बता सकता। गवाह ने यह स्वीकार किया कि वह फरियादी भग्गा व पुलिस वालों के कहने से बयान देने आया है। गवाह ने यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके बयान उसको पढ़कर नहीं सुनाये।

14– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.08 कनीराम** को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि घटना पुरानी है। लड़ाई–झगड़ा हुआ था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसने कोई घटना नहीं देखी थी। गवाह ने यह स्वीकार किया कि कोई मारपीट उसने नहीं देखी थी। वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है।

15– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.03 नानुराम** को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि पांच साल पहले पुलिस वालों ने उसके सामने नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 बनाया था जिस पर उसने ए से बी हस्ताक्षर किये थे। पुलिस वालों ने कहा लड़ाई हुई उसका नक्शा बनाया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसके सामने तो कोई मारपीट नहीं हुई तथा यह भी स्वीकारोक्ति की कि घटना के समय तो वह मौके पर नहीं था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसके खाली कागज पर साईन करवाये थे। गवाह ने यह स्वीकार किया कि बाद में भी प्रदर्श पी.03 पर पुलिस ने क्या लिखा है।

16– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.07 प्रभुलाल** को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि घटना 10–12 साल पहले की है। पुलिस मौके पर आई थी। नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी.03 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि वह वक्त घटना मौके पर नहीं था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस ने उसको प्रदर्श पी.03 पढ़कर नहीं सुनाया था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस वालों के कहने से हस्ताक्षर कर दिये थे। प्रदर्श पी.03 पर पुलिस ने क्या लिखा ये उसको जानकारी में नहीं है।

17– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.06 डॉ. जगदीश** को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 08.09.2011 को वह सीएचसी, छोटीसादड़ी पर एम.ओ. के पद पर तैनात था। उस दिन उसने पुलिस प्रार्थना प्रदर्श पी.05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने नाराणी पत्नी भग्गा, उम्र 35 साल, निवासी सालेड़ा के शरीर पर आई चोंटो का मेडिकल मुआयना किया जो प्रदर्श पी.04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नाराणी के शरीर पर चोंटे आई थी। चोंट संख्या 04 साधारण कुंदाले से कारित थी। चोंट संख्या 01 से 03 की रॉय रिजर्व

रखते हुये उसको प्रतापगढ़ रैफर किया गया और ये चोंटे भी कुंदाले से कारित थी। एक्स–रे रिपोर्ट प्रतापगढ़ से प्राप्त हुई जो प्रदर्श पी.04 की पुश्त पर अंकित है। जिसमें चोंट संख्या 01 में दाहिनी छोटी अंगूली में फ्रेक्चर पाया गया जो गंभीर प्रकृत्ति की होकर कुंदाले से कारित है, जबकि चोंट संख्या 02 व 03 साधारण होकर कुंदाले से कारित है। उसी दिन उसने भग्गा पिता कृष्णा, उम्र 40 साल, जाति मीणा निवासी सालेड़ा के शरीर पर आई चोंटो का मेडिकल मुआयना किया। उसके शरीर पर एक चोंट थी जो साधारण होकर कुंदाले से कारित थी। चोंटो की अवधि 24 घंटों के भीरत है। चोंट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर घायल के अंगूठा निशान है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी.02 और प्रदर्श पी.04 की चोंटे गिरने–पड़ने से आना संभव है।

18– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.09 सुरेशचंद्र** को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित किया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 09.09.2011 को जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। एम.एल.सी. नंबर 561 नारायणी पत्नी भग्गा जी का एक्स–रे उसके द्वारा हाथ का ओर सिर का एक्स–रे किया गया था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि वह उस समय रेडियोग्राफ्र के पद पर अकेला कार्यरत था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि एक्स–रे करने बाबत् उसके प्लेट पर किसी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकारोक्ति की कि उसने एक्स–रे बाबत् कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी। यह बात उसको मालूम नहीं है कि एक्स–रे प्लेट की रिपोर्ट उसने पुलिस वालों को कब दी थी।

19– सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर आई संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन कर उस पर मनन करने से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण परिवादी भग्गा के द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि दिनांक 12.09.2011 को कानि. मनोज कुमार 278 थाना छोटीसादड़ी द्वारा प्रार्थी भग्गा पिता किशना की रिपोर्ट व प्रार्थी भग्गा व श्रीमती नाराणी के चोंट प्रतिवेदन व एक्स–रे पेश कर नाराणी के चोंट प्रतिवेदन में रिजर्व चोट ग्रीवीयस ब्लण्ड होने से कायमी प्रकरण हेतु इस आशय की पेश की कि दिनांक 07.09.2011 को 05.30 बजे प्रार्थी पीथलवड़ी से घर की तरफ जा रहा था कि मुलजिम चतुरभुज पिता भैरा, मांगु पिता रामा, डालु पिता रामा द्वारा शराब पीकर उसकी पत्नी नाराणी के सिर, हाथ पर लाठी की मारी तथा उसको भी लाठी से मारा। मौके पर शंभुलाल, पप्पु, कनीराम ने बीचबचाव किया..आदि–आदि।

20– इस संबंध में यदि पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत प्रकरण का मुख्य गवाह फरियादी भग्गा गवाह पी.ड.01 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 05 साल शाम को 05 बजे वह सालेड़ा से पिथलवड़ी होते हुये छोटीसादड़ी वह, उसकी पत्नी के साथ मोटरसाईकिल से आ रहा था, फिर रास्ते में गांव के थोड़ा आगे आप मुलजिमान मांगीलाल, चतरभुज, डालु तथा एक ओर व्यक्ति आये। उन्होंने उसकी गाड़ी रूकवाई और आप मुलजिमान मांगीलाल, चतरभुज व डालु ने पत्थर व लठठ से मारपीट की। आप मुलजिम चतरभुज ने उसके सिर पर लठठ मारा तो वह वहां से भा गया तथा उसकी पत्नी नाराणी बाई जो वहीं पर थी उसके साथ आप मुलजिम मांगीलाल ने लठठ से चतरभुज ने पत्थर से व

डालु ने पत्थर से मारपीट की। फिर ये मुलजिम मारपीट करके भाग गये। इस घटना से उसके सिर पर, ललाट पर चोंटे आई थी। उसकी पत्नी नाराणी के हाथ टूट गया था तथा हाथ की अंगूली टूट गई थी तथा सिर पर भी गंभीर चोंट आई थी। जिसका ईलाज पहले तो छोटीसादड़ी अस्पताल में हुआ। नाराणीबाई को छोटीसादड़ी अस्पताल से प्रतापगढ़ रैफर कर दिया गया। इस घटना की उसने थाना छोटीसादड़ी में रिपोर्ट की थी जो प्रदर्श पी.01 है जिस पर ''एक्स'' स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। उसकी चोंटो का मेडिकल हुआ जो प्रदर्श पी.02 है जिस पर ''एक्स'' स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। गवाह ने उसका व उसकी पत्नी का सालेड़ा से पिथलवड़ी मोटरसाईकिल से जाना तथा बीच में अभियुक्त द्वारा गाड़ी रूकवाकर मारपीट किया जाना कथन किया है। वहीं गवाह पी.ड.05 नाराणीबाई फरियादी भग्गा की पत्नी है, ने अपने न्यायालय के समक्ष हुये बयानों में कथन किया है कि वह घटना के समय घर पर थी। मांगीलाल उसकी दुकान पर बीड़ी लेने आया था, उसके द्वारा उधार बीड़ी नहीं देने पर वह बाद में उसके घर पर मांगीलाल, चतरभुज और डालु ये तीनों आये और उसके साथ मारपीट चालू कर दी। जहां गवाह पी.ड.01 भग्गा मारपीट रास्ते में होना कथन करता है। वहीं गवाह पी.ड.05 नाराणीबाई मारपीट उसके घर पर होना कथन करती है। गवाह ने अभियुक्तगण द्वारा बीड़ी मांगे जाने तथा उक्त विषय पर बहस होने पर कोई कथन नहीं किये हैं, जो कि विरोधाभासी कथन है। इसी संबंध में फरियादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 का अवलोकन किया जावे तो लिखित रिपोर्ट में अंकित है कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी पत्नी से कहा गया कि उसके साथ नहीं चलेगी तो वह उसे उठाकर ले जायेगा। ऐसा कोई भी कथन फरियादी ने न्यायालय के समक्ष नहीं किया है। लिखित रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि अभियुक्तगण शराब पीकर और लठठ लेकर आये थे। ऐसा कोई भी कथन फरियादी एवं नाराणीबाई ने न्यायालय के समक्ष नहीं किया है। प्रदर्श पी.01 में घटनास्थल पर शंभुलाल, पप्पु व कनीराम का होना तथा उनके द्वारा बीचबचाव किया जाना कथन किया है। इस प्रकार उपरोक्त गवाहान प्रकरण के चश्मदीद गवाह है। गवाह पी.ड.04 शंभुलाल की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह ने न्यायालय के समक्ष हुये बयानों में कथन किया है कि उसने मारपीट होते हुये नहीं देखा वह घटना के बाद आया था। वह घटना के समय अपने घर पर था। इसी प्रकार गवाह पी.ड.08 कनीराम ने भी न्यायालय के समक्ष हुये बयानों में यह स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी उसने कोई मारपीट नहीं देखी तथा वह इस घटना के बारे में नहीं जानता है जो अभियोजन पक्ष की कहानी को कमजोर बनाता है। गवाह पी.ड.02 पप्पु न्यायालय के समक्ष हुये बयानों में कथन करता है कि 05 साल पहले करीब 05.00 बजे की बात है। वह भग्गा की दुकान पर था वहां पर मांगु, चतुरभुज व डालु ये तीन जने भग्गा के घर आकर भग्गा की पत्नी के साथ मारपीट करने लगे। गवाह ने अभियुक्तगण द्वारा भग्गा की दुकान पर आने तथा बीड़ी को लेकर उसकी पत्नी नाराणी से झगड़ा किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। गवाह पी.ड.05 श्रीमती नाराणीबाई कथन करती है कि अभियुक्तगण उसकी दुकान पर आये और बीड़ी के लिये झगड़ा कियाह जो कि विरोधाभासी कथन है एवं अभियोजन पक्ष की कहानी को संदेहास्पद बनाते हैं। गवाह पी.ड.06 डॉ. जगदीश वर्मा द्वारा मजरूहों का मेडिकल मुआयना किया गया था। गवाह द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 08.09.2011 को वह सीएचसी, छोटीसादड़ी पर एम.ओ. के पद पर तैनात था। उस दिन उसने पुलिस प्रार्थना प्रदर्श पी.05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने नाराणी पत्नी भग्गा, उम्र 35 साल, निवासी सालेड़ा के शरीर पर आई चोंटो का मेडिकल मुआयना किया जो प्रदर्श पी.04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नाराणी के शरीर पर चोंटे आई थी। चोंट संख्या 04 साधारण कुंदाले से कारित थी। चोंट संख्या 01 से 03 की रॉय रिजर्व रखते हुये उसको प्रतापगढ़ रैफर किया गया और ये चोंटे भी कुंदाले से कारित थी। एक्स–रे रिपोर्ट प्रतापगढ़ से प्राप्त हुई जो

प्रदर्श पी.04 की पुश्त पर अंकित है। जिसमें चोंट संख्या 01 में दाहिनी छोटी अंगूली में फ्रेक्चर पाया गया जो गंभीर प्रकृत्ति की होकर कुंदाले से कारित है, जबकि चोंट संख्या 02 व 03 साधारण होकर कुंदाले से कारित है। उसी दिन उसने भग्गा पिता कृष्णा, उम्र 40 साल, जाति मीणा निवासी सालेड़ा के शरीर पर आई चोंटो का मेडिकल मुआयना किया। उसके शरीर पर एक चोंट थी जो साधारण होकर कुंदाले से कारित थी। चोंटो की अवधि 24 घंटों के भीरत है। चोंट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर घायल के अंगूठा निशान है। गवाह ने एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर अपनी राय दिया जाना व्यक्त किया है। इस संबंध में यदि गवाह पी.ड.09 सुरेशचंद्र की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे कि गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 09.09.2011 को जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ में रेडियोग्राफ्रर के पद पर कार्यरत था। एम.एल.सी. नंबर 561 नारायणी पत्नी भग्गा जी का एक्स–रे उसके द्वारा हाथ का और सिर का किया गया था। गवाह ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया कि एक्स–रे करने बाबत् उसकी प्लेट पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसने एक्स–रे बाबत् कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी। गवाह को यह भी जानकारी नहीं है कि एक्स–रे की रिपार्ट उसने पुलिस वालों को कब दी गई हैं। इस प्रकार गवाह एक्स–रे रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं बनाया जाना कथन करता है। जिससे आहता को गंभीर प्रकृत्ति की उपहति कारित होने का निष्कर्ष सुरक्षित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है जो अभियोजन पक्ष की कहानी को कमजोर बनाता है। गवाह पी.ड.03 नानुराम नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 का गवाह है। जो नक्शा मौका पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन करता है, परंतु दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। प्रदर्श पी.03 में क्या लिखा है उसे नहीं पता है। इसी प्रकार गवाह पी.ड.07 प्रभुलाल जो कि नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 का गवाह है जो प्रदर्श पी.03 पर सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन करता है, परंतु दौराने जिरह स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी.03 पर पुलिस ने क्या लिखा ये उसको पढ़कर नहीं सुनाया था, उसने पुलिस वालों के कहने से हस्ताक्षर कर दिये थे। इस प्रकार नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 की ताईद भी न्यायालय के समक्ष नहीं हो पाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान ने एक स्वर में विरोधाभासी कथन करते हैं तथा चश्मदीद गवाहान घटना की ताईद नहीं करते हैं।

21– इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त मांगु उर्फ मांगीलाल के विरूद्ध धारा 341, 447, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध अंतर्गत आरोप संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 07.09.2011 को सांय करीब 05.30 बजे मौजा सरहद सालेड़ा खुर्द स्थित परिवादी भग्गा पिता किशना मीणा के कब्जे काश्त की आराजी में अपराध करने के आशय से दिगर मुलजिमान के साथ मिलकर अनाधिकार प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कर परिवादी भग्गा एवं उपहता श्रीमती नाराणी को आड़े फिरकर रोका और उनका सदोष अवरोध कारित कर स्वैच्छयापूर्वक कुंदालय से मारपीट कर उन्हें सामान्य एवं उसके दाहिने हाथ की छोटी अंगुली की अस्थि भंग कारित कर गंभीर उपहति कारित की। अतः अभियुक्त मांगु उर्फ मांगीलाल के विरूद्ध धारा 341, 447, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य पाये जाते हैं।

आदेश

22– परिणामस्वरूप अभियुक्त **मांगु उर्फ मांगीलाल पिता रामा, उम्र 30 साल, निवासी सालेड़ा कला, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)** को अपराध अंतर्गत धारा **341, 447, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त बर जमानत उपस्थित है, जिनके अन्वीक्षाकालीन उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

23– प्रकरण में अभियुक्त **चतुरभुज पिता भैरा, उम्र 45 साल, निवासी सालेड़ा कला, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)** मृत्यु होने से दिनांक 17.01.2023 को कार्यवाही ड्रॉप की गई तथा अभियुक्त **डालु उर्फ डालचंद पिता रामलाल, उम्र 35 साल, निवासी सालेड़ा कला, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)** की मृत्यु होने से दिनांक 01.02.2024 को कार्यवाही ड्रॉप की गई।

24– न्यायालय के आदेशानुसार धारा–481(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियुक्त की ओर से अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत छः माह की अवधि के 10,000/– रूपये के जमानत मुचलके इस आशय के पेश कर तस्दीक कराये कि इस निर्णय की अपील होने पर वह अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जावेगा।

(मनीषा अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)

25– निर्णय आज दिनांक **09.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीषा अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)